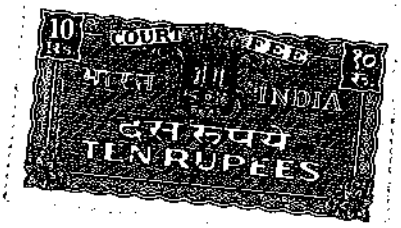

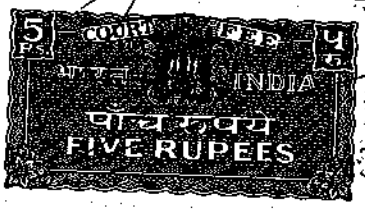

10 COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT FEE ५ भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

97

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०प्र० /2004 पुनरीक्षण R-429-IV/2004

जयवीर पुत्र कैलाश नारायण पाठक
निवासी ग्राम दतावली तहसील अटेर
जिला भिण्ड (म०प्र०) ----- आवेदक

विरुद्ध

1- शारदा देवी पत्नी सुखलाल
2- मीरादेवी पत्नी धर्मसिंह यादव
निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड
3- रामआसरे पुत्र तेजसिंह तेली
निवासी ग्राम दतावली तहसील अटेर
जिला भिण्ड (म०प्र०) --- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 207/2002-2003 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2004 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध, अनुचित एवं मनमानी होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि तहसीलदार महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात आवेदक का मौके पर आधिपत्य होने के कारण पटवारी प्रतिवेदन तथा गवाहों की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करने के पश्चात

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 429–चार/2005 निगरानी

जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अश्रिभाषकों के हस्ताक्षर
16-6-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 207/02–03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31–1–04 के विरूद्व म.प्र.भू राज. संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक श्री डी.के.शुक्ला के तर्को पर विचार किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क एंव लेखी बहस के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार सुरपुरा को आवेदन देकर ग्राम दतावली की भूमि सर्वे नंबर 348, 360 पर शासकीय अभिलेख में कब्जा दर्ज करने की मांग की, जिस पर से नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 6/99–2000 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 7–3–01 से कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 27/02–03 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 26–8–03 से स्वीकार हुई। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 207/02–03 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 30–1–04 से निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क एंव लेखी बहस के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अभिलेख के	

प्र.क्र. 421. चार/2005 निगरानी

अवलोकन उपरांत प्रकरण में देखना यह है कि नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 6/99–2000 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 7–3–01 से वादोक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये है तब क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये जा सकते हैं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 एंव 116 के अंतर्गत शासकीय अभिलेख में भूलवश हुई लिपिकीय त्रृटि को दुरूस्त किया जा सकता है किसी रिकार्डेड भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा दर्ज किये जाने का प्रावधान इन नियमों में नहीं है। इस सम्बन्ध में बल्देव बनाम मुस0 बुदउआ 1986 रा0नि0 233 के पैरा 6 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया गया है :–

" शासकीय अभिलेख में कोई नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकता है, किसी अशुद्व या गलत प्रविष्टि को शुद्व किया जा सकता है जब कोई प्रविष्टि न हो और नई प्रविष्टि चाही जाती हो, संहिता की धारा 115, 116 लागू नहीं होगी "।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा अपील कमांक 27/02–03 में पारित आदेश दिनांक 26–8–03 में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा अपील कमांक 207/02–03 में पारित आदेश दिनॉक 31 जनवरी, 2004 में निकाले गये निष्कर्ष नियमानुकूल हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 207/02–03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31 जनवरी, 2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य